म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Governmernt of Madhya Pradesh

क्र. कमांक 737 म.प्र.न.वि.वि.वि.आयोग / स्थापना / भोपाल दिनांक 25/3/21

/ / संशोधित आदेश / /

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की सभा की 165 वीं बैठक दिनांक 09 / 02 / 2021 के एजेण्डा कमांक (165)–2 में लिये गये. निर्णय के अनुकम **में सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगरिया चोपडा , रायसेन** के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों में पाठयकमों को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से संचालन हेतु पूर्व में आदेश क. 624 दिनांक 15 / 03 / 2021 जारी किया गया था, जिसमें त्रूटिवश M.Tech पाठयकम के अंतर्गत Structural Engineering शाखा छूट गयी थी। अतः पूर्व में जारी उपरोक्त आदेश में M.Tech पाठयकम के अंतर्गत Structural Engineering शाखा को जोडते हुए संशोधित आदेश निम्नानुसार जारी किया जाता है।

(Permission to SAM Global University, Village Agaria-Chopda, District Raisen for Conduction of Courses from session 2020-21)

Faculty	Course	S. NO	Branches	Approved Intake	Ordinance No.
Engineering & Technology	M.Tech	1	Thermal Engineering	18	31
		2	Transportation Engineering	18	
		3	Construction Technology& Management	18	
		4	Machine Design	18	
		5	Power Systems Engineering	18	
		6	Structural Engineering	18	

सैम ग्लोबल विश्वविद्यालयय, ग्राम अगरिया चोपडा, रायसेन को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति का संशोधित आदेश

	Diploma	1	Civil Engineering	60	11
		2	Mechanical Engineering	60	
		3	Electrical Engineering	60	
		4	Architecture	60	
		5	Computer Science Engineering	60	
Arts	M.A.	1	Music	30	37
		2	Yoga	30	
		3	Physical Education	30	
Science	M. Sc	1	Environmental Science	30	35
		2	Forestry	30	
		3	Bioinformatics	30	
		4	Geology	30	
		5	Microbiology	30	

पाठयकमों के संचालन हेतु शर्ते

1. उपरोक्त पाठ्यकमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्डडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यकमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विनियामक परिषदों द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन /मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा **नैक** प्रत्यायन एवं मूल्याकन अनिवार्यतः कराना होगा।
6. व्यवसायिक पाठ्यकमों हेतु मानक परिषदों**(एन.बी.ए)** से ग्रेडिंग / मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
7. नेशनल इंस्टिटयूशनल रैंकिग फ्रेमवर्क (एन.आई. आर.एफ.) हेतु निर्धारित मानको के अनुरूप संस्था एवं संबंधित पाठयकमों की रैंकिग हेतु आवेदन करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यकमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यकमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

निरंतर 3....

25/7

सैम ग्लोबल विश्वविद्यालयय, ग्राम अगरिया चोपडा, रायसेन को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से पाठयक्रमों के संचालन की अनुमति का संशोधित आदेश

- नोटः
  1. फेकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी के अंतर्गत प्रस्तावित डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर हेतु विशेषज्ञ द्वारा पुस्तको के कय संबंधी कार्यवाही प्रकियाधिन होना बताया गया है , अतः पुस्तको के कय उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठयकम संचालित किया जाए।
  2. मास्टर ऑफ फिजीयोथेरेपी(एम.पी.टी.) पाठयकम हेतु मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउन्सिल की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही आयोग द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
  3. एम फार्मा पाठयकम हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया की अनुमति नही होने के कारण उक्त पाठयकम की अनुमिति प्राप्त होने के उपरान्त ही आयोग द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(अध्यक्ष म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन 733/ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग / स्थापना / भोपाल दिनांक 25/ 03 / 2021
प्रतिलिपि–

1. कुलसचिव, **सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगरिया चोपडा , रायसेन** (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

25/3/2021

सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल